सेवा में लापरवाही पर सख्ती

डेढ़ साल में 47 आईएएस समेत 337 अफसरों को चेतावनी

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जारी, छह आईएएस पर कार्रवाई; व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप लॉन्च

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती बढ़ाते हुए डेढ़ वर्ष में 47 आईएएस, चार आईपीएस समेत कुल 337 अधिकारियों को चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने इन अधिकारियों की रिपोर्ट सरकार को भेजी, जबकि छह आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किए हैं। यह जानकारी आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता (सेवानिवृत्त आईएएस) ने शुक्रवार को वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए दी।

नागरिकों की सुविधा के लिए एएएस व्हाट्सएप चैटबॉट और एएएस मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया। आयोग के अनुसार अधिकारियों ने जन्म और जाति प्रमाणपत्र, सड़क से कचरा हटाने व सीएलयू अनुमति जैसे सामान्य नागरिक कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया। अगस्त 2024 से मार्च 2026 के बीच आयोग ने 47 आईएएस, चार आईपीएस और 24 एचसीएस अधिकारियों को चेतावनी और एडवाइजरी जारी की।

चंडीगढ़। रिपोर्ट जारी करते मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता व अन्य। सूचना विभाग

टीसी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 56 विभागों की 802 सेवाएं राइट टू सर्विस ढांचे के तहत शामिल हैं। इनमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, रिहायशी और जाति प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण, भवन योजना स्वीकृति और औद्योगिक सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नया व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप नागरिकों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर संदेश भेजकर किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपील प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

2.06 करोड़ आवेदन, 98 प्रतिशत अपीलों का निपटान

वित्त वर्ष 2025-26 में सरल प्लेटफॉर्म पर 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1.95 करोड़ आवेदन (94.71 प्रतिशत) समय पर निपटाए गए। करीब 9.63 लाख आवेदन विलंबित रहे, जबकि 1.25 लाख आवेदन लंबित हैं। अब तक एएएस पर 28.5 लाख से अधिक अपीलें दर्ज हुई हैं, जिनमें 98 प्रतिशत से अधिक का निपटान किया जा चुका है। आयोग ने रिहायशी प्रमाणपत्र प्रक्रिया, बिजली बिलों में पारदर्शिता, प्रॉपर्टी आईडी सुधार, डिग्री वितरण ट्रैकिंग और कल्याणकारी योजनाओं की स्पष्ट जानकारी जैसे कई सुधारात्मक सुझाव भी दिए हैं। टीसी गुप्ता ने कहा कि उनका कार्यकाल चार दिन बाद समाप्त हो रहा है और नए मुख्य आयुक्त व आयुक्तों की जल्द नियुक्ति जरूरी है, अन्यथा इसका असर आम जनता पर पड़ सकता है।

ऑटो अपील सिस्टम बना बड़ा सुधार: मुख्य आयुक्त ने बताया कि यदि कोई सेवा तय समय सीमा में पूरी नहीं होती तो ऑटो अपील सिस्टम के तहत अपील स्वतः दर्ज हो जाती है। इसके लिए नागरिक को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। नागरिक सरल पोर्टल या अंत्योदय सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक) के माध्यम से भी शिकायत और अपील दर्ज करा सकते हैं।